(Email)

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91–0755- 2583650 फैक्स 2583651 ई–मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक / स्था.4 / सी / अं.जि.स्थानां. / 29 / 2010 / 810 भोपाल, दिनांक 15.06.2010

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:–

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित स्थान / जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्री डी.के. खटके, सहायक ग्रेड–2 (UNIQUE CODE - AM6885)	कार्यालय जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी इन्दौर (DISE CODE- 232601ODS04)	संयुक्त संचालक उज्जैन संभाग उज्जैन (UNIQUE CODE-232107ORS01)
2	श्री छतरसिंह डाबर, लेखापाल (UNIQUE CODE - AS8050)	शासकीय कन्या हाईस्कूल रतनगढ़, जिला नीमच (DISE CODE - 23180566615)	रतलाम
3	श्री प्रदीप कुमार गर्ग, सहायक ग्रेड–3 (UNIQUE CODE - BA6972)	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला श्योपुर (DISE CODE- 230109ODS01)	ग्वालियर
4	श्री रज्जूलाल कुम्हारे, भृत्य (UNIQUE CODE-अप्राप्त)	शासकीय हाईस्कूल पताई, जिला रीवा (DISE CODE- 23140866614)	सतना
5	श्री चन्द्रशेखर मेश्राम, भृत्य (UNIQUE CODE-AN6205)	शा. माध्यमिक शाला झिझरी जिला कटनी (DISE CODE- 23380304101)	बालाघाट
6	श्रीमती शान्ति बाई, भृत्य (UNIQUE CODE-AA3171)	शा. महात्मा गांधी उ.मा.वि. बालक भेल भोपाल (DISE CODE- 23320377705)	छतरपुर
7	श्रीमती गुड्डी बाई चौबे, भृत्य (UNIQUE CODE-AN7213)	शा. उ.मा.वि. स्लीमनाबाद, जिला कटनी (DISE CODE- 23380177703)	जबलपुर
8	श्री सुदर्शन सिंह राजपूत, भृत्य (UNIQUE CODE-AL5753)	शा.मा.वि. नजरपुरा, विकास खण्ड टिमरनी जिला हरदा (DISE CODE- 23360209103)	विदिशा
9	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह यादव, भृत्य (UNIQUE CODE - BF6182)	शा. मा.शाला गरेठा, तह. सिरोंज जिला विदिशा (DISE CODE - 23310610303)	जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान भोपाल (DISE CODE- 233203IDS01)
10	श्री भम्मन सिंह नगपुरे, भृत्य (UNIQUE CODE - AC1990)	शा.मा.वि. बरखेडा गौड़ तह. व जिला अशोकनगर (DISE CODE - 23460206502)	बालाघाट

2/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक / एफ 6–1 / 2010 / एक / 9, दिनांक 20.04.2010 (वर्ष 2010–11 की स्थानांतरण नीति) की कंडिका 9.25 के अनुक्रम में स्थानांतरित जिले / स्थान ने पद रिक्त होने के उपरांत ही संस्था में रिक्त पद पर पदस्थापना की जाए । अनिशेष की स्थिति में स्थानातरण निरस्त सबधी प्रस्ताव संचालनालय को भेजे ।

(हस्ताक्षर)

3/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी ।

4/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये ।

6/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली–भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे । यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें ।

7/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे । साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा ।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए । पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा । कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।

आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्र./स्था.4/सी/अ.जि.स्थानां./29/2010/801 भोपाल, दिनांक 15.06.2010

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित् ।
2. विशेष सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ–भवन, भोपाल ।
4. संबंधित जिला, कलेक्टर, म.प्र. ।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण, संभाग म.प्र.।
6. संयुक्त संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जिला म.प्र. ।
8. प्राचार्य, जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान भोपाल।
9. संबंधित प्राचार्य, म.प्र.।
10. ओ.एस.डी. स्थापना–4 (स्थानीय) ।
    की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु ।
11. संबंधित कर्मचारीगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश